उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकाकरी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या–27 / 2021

मुबारक अंसारी वगै० बनाम् चोलाराम बेदिया वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

18/02/2022

–:: आदेश ::–

अभिलेख उपस्थापित। विपक्षी पिछले तिथि से लगातार अनुपस्थित। विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ एवं अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर एक पक्षीय सुनवाई करते हुए बहस सुना तथा निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–कुसुमडीह, कल्याणपुर, थाना–गोला, जिला–रामगढ़ के अन्तर्गत खाता नं०–37, प्लॉट संख्या–365, रकबा–0.91 एकड़, प्लॉट संख्या–447, रकबा–0.49 एकड़ एवं प्लॉट संख्या–449, रकबा–0.50 एकड़ भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46(4–A) के तहत् निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को उच्छेदित करने का आदेश पारित किया गया है, जो विधि–संगत नहीं है। उक्त भूमि पर वर्षों से अपीलार्थीगण दखलकार चले आ रहे है, जिसकी पुष्टि अंचल अधिकारी, गोला के प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है। इन्होंने निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ का कहना है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46(4A) में उल्लेखित है कि "The Deputy Commissioner may, of his own motion or on an application filed before him by an occupancy-Raiyat, who is a member of the Scheduled Tribes, for annulling the transfer on the ground that the transfer was made in contravention of clause (a) of the second proviso to sub-section (1), hold and inquiry in the prescribed manner to determine if the transfer has been made in contravention of clause (a) of the second proviso to sub-section (1) :

Provided that no such application be entertained by the Deputy Commissioner unless it is filed by the occupancy-tenant within a period of twelve years from the date of transfer of his holding or any portion thereof :

Provided further that before passing any order under clause (b) or clause (C) of this sub-section, the Deputy Commissioner shall give the parties concerned a reasonable opportunity to be heard in the matter."

निष्कर्ष :–

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ का बहस सुनने एवं समर्पित कागजातों / निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

1. प्रश्नगत् भूमि मौजा–कुसुमडीह, कल्याणपुर, थाना–गोला, जिला–रामगढ़ के अन्तर्गत खाता नं०–37, प्लॉट संख्या–365, रकबा–0.91 एकड़, प्लॉट संख्या–447, रकबा–0.49 एकड़ एवं प्लॉट संख्या–449, रकबा–0.50 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में जयनाथ नाया के नाम से दर्ज है, जो आदिवासी खाते की भूमि है।
2. अपीलार्थीगण खतियानी रैयत के वंशजों से पंचनामा केवाला के माध्यम से हासिल कर दखलकार होने का दावा करते है।
3. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46 अन्तर्गत आदिवासी खाते की भूमि हस्तान्तरण हेतु उपायुक्त/सक्षम प्राधिकार से अनुमति की आवश्यकता है, जबकि आदिवासी खाते की भूमि गैर आदिवासी को हस्तान्तरण/बिक्रय का प्रावधान नहीं है।
4. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46(4-A) के तहत् उच्छेदित भूमि से रयैत 12 वर्षों की अवधि के अन्दर बेदखल है, तभी उक्त सुसंगत धारान्तर्गत भू–वापसी की कार्रवाई की जा सकती है।
5. अंचल अधिकारी, गोला के जाँच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रावधान अन्तर्गत समयावधि कालबाधित प्रतीत होता है।

आदेश :–

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न न्यायालय (भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़) द्वारा पारित आदेश से सहमत होने का तार्किक एवं वैध आधार नहीं बनता है, परन्तु अपीलार्थीगण उक्त प्रश्नगत भूमि (आदिवासी खाते की भूमि) विधिवत हस्तान्तरण के सम्बन्ध में न्यायालय के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य/दावा/कागजात प्रस्तुत करने में असफल रहे है। फलतः अपीलार्थीगण द्वारा दायर अपील आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा दिनांक–04.03.2021 को पारित आदेश निरस्त करते हुए, निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रश्नगत भूमि, जो आदिवासी खाते की भूमि है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 में निहित प्रावधान के तहत् निर्धारित समयावधि/विधिवत हस्तान्तरण–कार्रवाई के सम्बन्ध में उभयपक्षों द्वारा समर्पित दावा–दस्तावेज/स्थल जाँचोपरान्त सुनवाई करते हुए पुनः नये सिरे से आदेश पारित करने के निमित्त Remand (रिमाण्ड) किया जाता है। इसी आदेश के साथ वाद निस्तारित किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख भेजे।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित
18.02.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
18.02.2022
उपायुक्त,
रामगढ़

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2022.02.24 12:15:44 +05:30
Location: 192.168.0.160